

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

उदा बनाम जारायण (काँरा)

किस्म मुकदमा प्राप पत्र 111-128 नं० 103 सन् 2023

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

30/5  
23

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर  
विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 13.6.23 को  
पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर माण्डल

17/6  
23

पगावली ग्रहंई राहत कैम्प एंव प्रशासन गाँवों के संग अभियान  
2023 ग्राम पर्यायत भीमडियास में पेश हुई। विपक्षीगण के  
सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पगावली  
किये गये। प्रार्थनापत्र का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय  
पृथक से लिखा जाकर शामिल पगावली किया गया। पगावली  
के सल सुमार होकर नम्बर से कम है।

हुक्मीबन्ध रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023



## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 103/23 प्राण

1- श्री उदास/0 श्री जगन्नाथ कुमावत निवासी- आलगास तहसील-माण्डल [वर्ग]

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री जगन्नाथ/0 श्री जगन्नाथ कुमावत निवासी- आलगास तहसील-माण्डल [वर्ग]  
(सूचना पत्र संख्या)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 17.6.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आलगास पटवार हल्का आलगास तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. सूचना पत्र संख्या कुल किता 2.5 रकबा 5.4885 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30.05.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का रवीकार किया जाकर ग्राम आलगास पटवार हल्का आलगास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. सूचना पत्र संख्या कुल किता 2.5 रकबा 5.4885 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक आलगास को 2200/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मोक व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023